

बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

पत्रांक— पि0व0/गै0यो0-45-3/2014-

पटना, दिनांक-

प्रेषक,

प्रेम सिंह मीणा,
सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
बिहार, वीरचंद पटेल मार्ग, पटना।

विषय:— वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य योजनान्तर्गत जननायक कर्पूरी ठाकुर अत्यन्त पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास के संचालनार्थ कुल रू0 90,00,000/- (नब्बे लाख रुपये) मात्र की निकासी की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य योजना के तहत जननायक कर्पूरी ठाकुर अत्यन्त पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास के संचालनार्थ कार्यालय व्यय मद में रू0 1,00,00,000.00 (एक करोड़ रुपये) एवं सामग्री एवं पूर्तियां मद में रू0 4,00,00,000.00 (चार करोड़ रुपये) मात्र का बजट उपबंध है। उक्त बजट उपबंध के आलोक में संलग्न विवरणी के अनुसार कार्यालय व्यय में रू0 56,00,000.00 (छप्पन लाख रुपये) तथा सामग्री एवं पूर्तियां मद में रू0 34,00,000.00 (चौतीस लाख रुपये) मात्र अर्थात् कुल रू0 90,00,000.00 (नब्बे लाख रुपये) मात्र की राशि जननायक कर्पूरी ठाकुर अत्यन्त पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास के संचालनार्थ जिलों (विवरणी संलग्न) को स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- उक्त स्वीकृत राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य योजनान्तर्गत मांग संख्या-11 के अंतर्गत आय-व्ययक शीर्ष "4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय-उप मुख्य शीर्ष-03-पिछड़े वर्गों का कल्याण-लघु शीर्ष-277-शिक्षा-उप शीर्ष-0101-आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार, विषय शीर्ष- 13.01 कार्यालय व्यय तथा 21.01 सामग्री एवं पूर्तियां विपत्र कोड संख्या-11-4225032770101 से विकलनीय है।


3- इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे, जो इस राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक-2561 दिनांक-17.04.98 तथा पत्रांक-2218 दिनांक-16.03.02 तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में करेंगे। निकासी की गई राशि का व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष समाप्ति के तत्काल बाद विभाग को भेजा जायेगा।

4- राशि की निकासी उतनी ही की जाय जिसका वास्तविक व्यय दिनांक-31.03.2019 तक हो सके एवं व्यय की सम्भावना नहीं होने पर अतिरिक्त राशि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व प्रत्यर्पित कर दिया जाय।

5- अंकेक्षण एवं लेखा विभाग के पदाधिकारियों को सुविधा के अनुसार लेखा का अंकेक्षण एवं परीक्षण का अधिकार होगा।

6- प्रस्ताव एवं प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन,


16.9.18
(प्रेम सिंह मीणा)
सचिव।

P.T.O


ज्ञापांक-पि0व0/गै0यो0-45-3/2014- 54.

पटना, दिनांक- 12/09/18

प्रतिलिपि-संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी/संबंधित प्रमंडलीय उप निदेशक (कल्याण), बिहार/संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. वित्त विभाग, बजट शाखा/सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित छात्रावास अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. बजट सहायक/आई०टी० मैनेजर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


12.9.18
सचिव।

—: विवरणी :-


वित्तीय वर्ष-2018-19 में जननायक कर्पूरी ठाकुर अत्यंत पिछड़ा वर्ग
कल्याण छात्रावास हेतु जिलों को स्वीकृत राशि की विवरणी :-

राशि रू0 में

क्र० सं०	जिला का नाम	मद/विषय शीर्ष		कुल योग
		कार्यालय व्यय (13.01)	सामग्री एवं पूर्तियों (21.01)	
1	नालंदा	1000000.00	200000.00	1200000.00
2	किशनगंज	600000.00	300000.00	900000.00
3	बेगूसराय	600000.00		600000.00
4	जमुई	500000.00	600000.00	1100000.00
5	मधुबनी	800000.00	300000.00	1100000.00
6	सुपौल	500000.00	200000.00	700000.00
7	शेखपुरा	400000.00		400000.00
8	कैमूर	200000.00	300000.00	500000.00
9	भागलपुर	200000.00	300000.00	500000.00
10	बांका	200000.00	300000.00	500000.00
11	कटिहार	200000.00	300000.00	500000.00
12	गया	200000.00	300000.00	500000.00
13	जहानाबाद	200000.00	300000.00	500000.00
	कुल	5600000.00	3400000.00	9000000.00

पत्रांक- 54

दिनांक- 12/09/18


12.9.18
सचिव